पत्रांक–7/मलेरिया–22–01/2017 80(7)ब

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ–सह–नियंत्री पदाधिकारी,
मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 28-09-17

विषय :स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹81,53,474/– (इक्कासी लाख तिरपन हजार चार सौ चौहत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–12(7)ब दिनांक–15.05.17, 32(7)ब दिनांक–12.07.17 एवं 49(7)ब दिनांक–24.08.17 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹81,53,474/– (इक्कासी लाख तिरपन हजार चार सौ चौहत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य– 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061010003 के अन्तर्गत आय–व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य मलेरिया कार्यालय के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सह नियंत्री पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी एवं जिला मलेरिया कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे ।

5. डी0डी0टी0 छिड़काव का सधन अनुश्रवंण / पर्यवेक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। दवा छिड़काव का व्यापक प्रचार प्रसार होने के पश्चात निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करेंगे कि छिड़काव जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाय ।

6. किराये के मकान में संचालित जिला मलेरिया कार्यालयों के किराये का भुगतान करने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित जिला मलेरिया कार्यालय का किराया सरकार से स्वीकृत है। सरकार से किराया स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में मकान किराये का भुगतान नहीं किया जाय एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संगत कागजातों के साथ भेजी जाय।

7. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के कम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

14. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- 25/9/17

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 80(7)व पटना, दिनांक : 25-09-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 25/9/17

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061010003 अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	मुख्य मलेरिया कार्यालय, पटना	0	0	0	0	0	0	38674	0	0	0	0	0	0	38674	1214/28.8.17
2	अपर मु0 चि0 पदा0, सासाराम	1200000	1632000	108000	14400	14400	2968800	0	10000	0	0	0	0	20000	2998800	201/25.8.17
3	अपर मु0 चि0 पदा0, दरभंगा	1800000	2448000	162000	21600	21600	4453200	0	10000	0	0	5000	0	123000	4591200	393/23.8.17
4	अपर मु0 चि0 पदा0, मुंगेर	200000	272000	16000	2400	2400	492800	0	5000	5000	10000	10000	2000	0	524800	451/19.9.17
	कुल	**3200000**	**4352000**	**286000**	**38400**	**38400**	**7914800**	**38674**	**25000**	**5000**	**10000**	**15000**	**2000**	**143000**	**8153474**	

(इक्कासी लाख तिरपन हजार चार सौ चौहत्तर) रू0 मात्र

80(7)9
25-09-17

25/9/17

सरकार के विशेष सचिव

D:\Bug 2017-18 A\o\Kamal\Malaria 3Va

उपबंध की स्थिति विपत्र कोड– 20–2210061010003

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003–01–01)	146640000	73900000	3200000	77100000	69540000
2	जीवन यापन भत्ता (0003–01–03)	192267000	100336000	4352000	104688000	87579000
3	मकान किराया भत्ता (0003–01–04)	16777000	8011990	286000	8297990	8479010
4	परिवहन भत्ता (0003–01–05)	407000	174000	0	174000	233000
5	चिकित्सा भत्ता (0003–01–06)	1692000	886800	38400	925200	766800
6	अन्य भत्ता (0003–01–07)	1678000	886800	38400	925200	752800
	योग 20-2210.06.101.0003.01 वेतन	**359461000**	**184195590**	**7914800**	**192110390**	**167350610**
7	मजदूरी (0003–02–01)	5000000	5000000	0	5000000	0
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003–06–01)	500000	396270	38674	434944	65056
9	यात्रा व्यय (0003–11–01)	1000000	435000	0	435000	565000
10	कार्यालय व्यय (0003–13–01)	600000	390000	25000	415000	185000
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0003–13–02)	200000	121500	5000	126500	73500
12	दूरभाष (0003–13–03)	100000	75750	10000	85750	14250
13	विद्युत प्रभार (0003–13–04)	500000	438060	15000	453060	46940
14	विधि प्रभार (0003–13–05)	100000	98000	2000	100000	0
15	वर्दी / पोषाक (0003–13–06)	306000	155000	0	155000	151000
16	किराया महसूल एवं कर (0003–14–01)	500000	357000	143000	500000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0003–20–03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0003–21–01)	100000	100000	0	100000	0
19	दवा भण्डार (0003–21–02)	800000	0	0	0	800000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0003–27–02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (0003–52–01)	1000000	0	0	0	1000000
	कुल योग:–	**372668000**	**191762170**	**8153474**	**199915644**	**172752356**

80(7)9
25-09-17

ह०/- 25/9/17
सरकार के विशेष सचिव